

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1086 /

जबलपुर, दिनांक 28/02/2019

श्रीमती प्रीति डेहरिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को न्यायिक शाखा के फाइलिंग अनुभाग में चेकर क-5 के रूप में कार्यरत रहते हुए प्रकरण एम.पी. क्रमांक 6413/2018 के साथ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.09.2018 को दायर केवियट संलग्न न करने एवं इस संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पूर्णतः असंतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी (Non recordable) दी जाती है, कि भविष्य में कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा त्रुटि करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

पृष्ठांकन क्रमांक C/1087 /

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)
जबलपुर, दिनांक 28/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक.....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना / न्यायिक / फाइलिंग, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. सहायक स्थापना / सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्रीमती प्रीति डेहरिया, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-दो)
Ran